न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारीः— श्री चावण्डदान चारण, आरएएस

अपील सं. 269/2015/डिक्री

1. श्री ओमप्रकाश पिता रामनारायण जाति माली निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0) मृतक के बजाय—
   1/1. सुरेशचन्द्र पिता ओमप्रकाश जी जाति माली निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
   1/2. चन्दप्रकाश पिता ओमप्रकाश जी जाति माली निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
   1/3. इन्द्रादेवी पुत्री ओमप्रकाश जी जाति माली निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
   1/4. राजेश्वरी पुत्री ओमप्रकाश जी जाति माली निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
   1/5. गीता देवी पुत्री ओमप्रकाश जी जाति माली निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
2. रूपलाल पिता रामनारायण जी जाति माली निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
3. बिहारीलाल पिता रामनारायण जी जाति माली निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

—अपीलान्ट

बनाम।

1. डाली पुत्री उंकारलाल जी जाति भील निवासी अरनिया माली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
2. राजू पिता चतरा जाति भील निवासी करथाना तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
3. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

—रेस्पोडेन्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि.—1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा
दिनांक 02.06.2015 प्रकरण सं. 78/2014

उपस्थित(वक्त बहस)—1. श्री छोगालाल जाट — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री सत्यनारायण ईनाणी — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट—1
3. श्री खूमराज कुमावत — अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट—2

निर्णय **दिनांक 18.06. 2021**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा वादपत्र रा0का0अधि0 की धारा 88,188,92ए के तहत प्रतिवादीगण /रेस्पोडेन्टगण के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा करथाना तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी नंबर 171 रकबा 2 बीघा 16 बीस्वा जो पूर्व में अल्लानुर के खाते की थी, जिससे उंकार भील ने खरीदी और उसके खाते में दर्ज हुई । उक्त आराजियात पर वादीगण के पिता श्री

रामनारायण पिता उदा माली दिनांक 24.02.1968 से मुतवातीर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है इस प्रकार उक्त आराजी पर वादीगण के पिता एवं उनकी मृत्यु के उपरांत वादीगण शांतिपूर्वक बेरोकटोक एब्सोलुट करीबन 46 साल से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

उक्त आराजियात खसरा नम्बर 171 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा को अल्लानुर ने उंकार पिता घासी भील को अनरजिस्टर्ड दस्तावेज से बय की , तत्पश्चात उंकार पिता घासी ने वादीगण के पिता रामनारायण पिता उदा माली को 950 रूपये में जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज दिंनाक 24.02.1968 को बय कर दी तब से वादीगण के पिता रामनारायण एवं उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण शांतिपूर्वक बेरोकटोक एब्सुलोट काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है एवं मुखालिफाना कब्जा होने से कानूनन खातेदार हो गये है। खातेदार उंकार की मृत्यु पर विरासत से प्रतिवादीगण/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण वादीगण के हक अधिकार से मना कर रहे है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जा उंकार द्वारा विक्रय दिनांक 24.02. 1968 एवं उसकी मृत्यु के बाद कभी कब्जा नहीं रहा है। फिर भी गलत रूप से बिना कब्जे के नुमाईशी तौर पर गैरकानूनी रूप से प्रतिवादी संख्या 3 को विक्रय करना चाहते है जबकि ऐसा करने का उन्हे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अंत में वादीगण द्वारा उक्त आराजीयात पर अपना मुखालिफाना कब्जा होने से स्वयं को खातेदार घोषित किये जाने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.2015 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प अटल सेवा केन्द्र बड़ोलीघाटा में पेश कर सुनवाई करते हुए निर्णय पारित किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.02.1968 के आधार पर प्रस्तुत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, संविदा अधिनियम तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानो के प्रतिकूल होने से वादीगण अपीलांट का वादपत्र खारिज किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06. 2015 से रूष्ठ होकर दिनांक 08.10.2015 को यह अपील इस न्यायालय में मियांद बाहर प्रस्तुत की गई ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट के सम्मन जारी किये गए।अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली तलब की जाकर अधीवक्तागण की बहस सुनी गई ।

न्यायहित में धारा–5 कानून मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियांद मानी जाती है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि प्रकरण दिनांक 19.05.2015 को वास्ते जवाब हेतु नियत किया गया जिसके लिए तारीक पेशी 02.06.2015 जवाब हेतु नियत की गई। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.2015 को पत्रावली कोर्ट कैम्प अटल सेवा केन्द्र बड़ोलीघाटा में रखी जाकर, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जवाबदावा लिए बिना एवं बिना साक्ष्य सबूतों के निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज किया गया है जो कि न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का अनुरोध किया। अधीवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री न्यायोचित है एवं अपीलांट का वादपत्र भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25 के परिप्रेक्ष्य में चलने योग्य नहीं है।

संविदा अधिनियम में स्वीकारोक्ती देने पर भी खातेदारी अधीकार वादी पक्ष में अंतरित नहीं हो सकते है। अपनी बहस में यह निवेदन भी किया कि अपीलांट वादीगण जाति से माली व रेस्पोडेण्ट अनुसूचित जनजाति वर्ग से है जिनमें किसी प्रकार का खातेदारी अंतरण नहीं हो सकता है एवं इस प्रकार का अंतरण प्रारंभ से ही शून्य है। व यह तथ्य भी अंकित किये कि पत्रावली में नियत तारीख पेशी 02.06.2015 नियत थी। व उसी दिनांक को न्यायालय ने अपना निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील निरस्त योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 06.04.2015 को पत्रावली वास्ते अधिकारपत्र प्रस्तुत करने व जवाब हेतु दिनांक 19.05.2015 को नियत की गई। दिनांक 19.05.2015 को जवाबदावा प्रस्तुत नही होने से दिनांक 02. 06.2015 नियत की गई व दिनांक 02.06.2015 को भी पत्रावली वास्ते जवाबदावा नियत थी व पत्रावली को लोक अदालत कैम्प कोर्ट बड़ोली घाटा में बिना अपीलांटगण को सूचना दिए नियत की गई। व उक्त दिनांक को अपीलांट की अनुपस्थिति में बिना किसी राजीनामें के प्रकरण का बिना साक्ष्य व सबूत के गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलांट वादी का वादपत्र डिक्री योग्य नहीं होना मानते हुए निरस्त किए जाने का निर्णय पारित किया। अधीवक्ता अपीलांट ने लोक अदालत पर निष्पादित न्यायिक द्रष्टांत आर.एल. डब्ल्यु 2008 पार्ट 2 पेज 975 का अवलोकन करवाया जिसमें स्पष्ठ करवाया कि लोक अदालत विशुद्व रूप से सुलह से संबंधित है जिसमें लोक अदालत की अधिकारीता शक्तियां और कार्य का भी विश्लेषण किया गया है जिसका हमने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विशुद्व रूप से लोक अदालत के तहत बिना राजीनामे के गुणावगुण पर पारित की गई है जो न्यायोचित नहीं होकर निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा प्रकरण संख्या 78/2014 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2015 निरस्त की जाकर प्रकरण उभयपक्ष का जवाबदावा रेकॉर्ड पर लिया जाकर प्रकरण में दोनो पक्षो की प्लीडिंग पर तनकियात कायम की जाकर तनकीवार साक्ष्य व सबूत लिया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावे ।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ़